तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 90/2025 बउनवान गोपाराम बनाम लेहरो वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 15.09.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से वकील श्री सुनील के. मेराजा।
2. रेस्पों. संख्या 01 की तरफ से वकील श्री मुकेश जैन।
3. रेस्पों. संख्या 02 से 05 की तरफ़ से वकील श्री दीक्षित बोथरा।
4. रेस्पों. संख्या 6/4/1 व 6/4/2 की तरफ से वकील मुस्कान सर्राफ।
5. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों. संख्या 1 द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मौजा प्रभुओणी मालियों का वास, पटवार हल्का कुडला, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 691/600 रकबा 6.2726 हेक्टेयर, खसरा संख्या 690/600 रकबा 6.1593 हेक्टेयर, खसरा सख्या 599 रकबा 0.1052 हेक्टेयर भूमि का प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. के पक्ष में दिनांक 12.06.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित किया था। जो विधि संगत नहीं है। रेस्पों. संख्या 1 गुजरात की रहवासी है जिसका हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। ना ही रेस्पों. संख्या 1 का इस आराजी पर कोई विधिक अधिकार बनता है। उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का अपीलांट रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश के जरिये पाबंद किया गया है। जो न्यायसंगत नहीं है। उक्त आराजी पर अपीलांट को लगतार कब्जा–काश्त निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। पूर्व में उक्त आराजी का लगान भी अपीलांट व अपीलांट के पूर्वजों द्वारा अदा की जाती रही है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन निर्णय की आड़ में अपीलांट को अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदख़ल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांट्स की अपील को स्वीकार फ़रमाया जावे।

रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागणों द्वारा अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि सम्मत पारित किया गया है। जिसमें किसी तहर की वैधानिक त्रुटि नहीं है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी वक्त संटलमेंट नानक, भारत पिसरान गुलाबा के नाम पैमाईश होकर दर्ज हुई थी। आराजी के सह खातेदारी नानक का देहान्त होने पर उसके पुत्रों पुरखा व बागा के नाम तथा भारता

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का देहान्त होने पर उसके पुत्रों गोपा एवं चुना के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुये। रेस्पों. संख्या 1 के नाना भारता का देहान्त उनके भाई नानक के पश्चात् हुआ। भारता के देहान्त होने पर उनके तीन विधिक वारिसान गोपाराम, चुनाराम एवं पुत्री राजो होने से उनके नाम नामान्तरकरण दायर किया जाना था, किन्तु रेस्पों. संख्या 1 की माता राजो भारताराम की पुत्री होने के बाद भी उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दायर नहीं करवाया गया है। जबकि रेस्पों. संख्या 1 की माता राजो विधिक वारिसान थी, जिसका जन्म से ही वादग्रस्त आराजी में हक–हिस्सा नियत था। उक्त तथ्यों से परे जाकर नामान्तरकरण करवाया गया था जो विधि विरूद्ध है। उक्त विधिक वारिसान का हक–हिस्से अनुसार रेस्पों. संख्या 1 द्वारा वाद दायर किया गया है जिसके आधार पर न्यायहित में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि संगत है। अपीलांट की नियत में खोट आने से हस्तगत प्रकरण रेस्पों. संख्या 1 के कब्जा–काश्त में लगातार दखलअंदाजी की जा रही है। अपीलांट रेस्पों. संख्या 1 को बेदखल कर हस्तगत आराजी को अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा है इस तथ्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतयाः विधि संगत है। अगर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है तो वाद की बहुलता बढेगी। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा तकनीकी एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। रेस्पों. द्वारा अपीलांट के कब्जा–काश्त में कभी भी दखलअंदाजी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। रेस्पों. हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा–काश्त होने से मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

1- 2022-23(SUPP.)RRT 699
2- DNJ (RAJ.)2006 (1) 421
3- RRD PAGE NO.-744
4- RLW 2014(2)1561
5- RRT 2011(2)1407

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली व न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। वाद की बहुलता नहीं बढे, इसलिये राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति का अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

15/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर